- 1 -

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2018 निगरानी-3420/2018/अशोकनगर/भू.रा.

श्रीमती नीलम पत्नी अभय कुमार जैन कृषक गूगोर माफी , तहसील शाढोरा जिला अशोकनगर म.प्र.हाल निवासी नई आबादी महावीर कालोनी के पास अशोकनगर म.प्र.

.... आवेदिका

बनाम

1. मनोज कुमार जैन पुत्र श्री मांगीलाल
2. सुमित कुमारजैन पुत्र मांगीलाल

कृषकगण गूगोर माफी तहसील शाढोरा निवासी नई आबादी महावीर कालोनी के पास, अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र.

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 जलालपुर तहसील शाढोरा जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/ अ- 12/ 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 26.3.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय ,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के सक्ष ग्राम गूगोर माफी पटवारी हल्का नं. 22 तहसील शाढोरा के द्वारा ग्राम के कृषक अनावेदकगण की भूमि सर्वे नं. 306, 309 , 315 ,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी –अशोकनगर / भू0रा0 / 2018 / 3420

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
12/10/18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 जलालपुर तहसील शाढौरा व्दारा प्र.क. 8 अ–12 / 2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26–3–2018 के विरूद्व राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में दिनांक 4–6–18 को प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (सॅशोधित 25 जून 2018) तद्नुसार प्रभावी दिनांक 25–9–18 के अनुसार संहिता की धारा 129 (4) एंव (5) इस प्रकार है – धारा 129 (4) – तहसीलदार सीमांकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर हितबद्व पक्षकारों सहित पड़ौस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने के पष्चात् सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। संहिता की धारा 129 (5) – उपधारा 4 के अधीन सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि से व्यथित पक्षकार निम्न लिखित आधारों में से किसी आधार पर उपखंड अधिकारी को अपास्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा। उपरोक्त सॅशोधन अनुसार संहिता की धारा 129 के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में सुनवाई नहीं होगी, अपितु व्यथित पक्षकार उप खंड अधिकारी को तदाशय का आवेदन करेगा। फलतः प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर की ओर निराकरण हेतु अंतरित । हितबद्व पक्षकार अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष दिनांक 26–11–18 को उपस्थित होवें। तद्नुसार प्रकरण अंक से कम किया जाता है। C. F. 26/11/18 सदस्य अनुविभागीय अधि0 अ0नगर	